मध्यप्रदेश शासन

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 6.6.23

क्रमांक 1456/1363478/2023/50-2 : राज्य शासन एतद् द्वारा शासन की महिला कल्याण हेतु संचालित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन, निगरानी एवं महिला सशक्तिकरण हेतु गठित लाडली बहना सेना दिशा निर्देश 2023 जारी करता है ।

संलग्न - लाडली बहना सेना दिशा निर्देश 2023.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजय कटेसारिया)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

पृष्ठां0 क्रमांक 1457/1363478/2023/50-2 भोपाल, दिनांक 6.6.23

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
3. स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग
4. आयुक्त, महिला एवं बाल विकास संचालनालय, मध्यप्रदेश
5. संभागीय आयुक्त, संभाग समस्त, मध्यप्रदेश
6. संचालक, पंचायत राज, मध्यप्रदेश
7. संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास, संभाग समस्त
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त मध्यप्रदेश
9. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, जिला समस्त, मध्यप्रदेश
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, समस्त जनपद, मध्यप्रदेश
11. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

लाड़ली बहना सेना

(मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना अंतर्गत गठित जागरूक महिलाओं का संगठन)

लाड़ली बहना सेना दिशा निर्देश 2023

1. प्रस्तावना -

भारत के संविधान में महिला व पुरूष दोनों को ही समान अधिकार प्राप्त हैं। इन अधिकारों का हनन ना हो इस हेतु कानून भी बनाये गये हैं। प्रत्येक नागरिक चाहे वह महिला हो या पुरूष अपने संपूर्ण अधिकारों का उपयोग करते हुए सम्मान पूर्वक जीवन जी सकता है, लेकिन यह तभी संभव है जब उसे अपने अधिकारों का पूर्ण ज्ञान हों और वह अपने अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम हों।

बालिकाओं एवं महिलाओं को समान अवसर उपलब्ध हो इसके लिये महिलाओं को एकजुट होकर एक दूसरे की न केवल ताकत बनना होगा वरन् महिलाओं को उनके नैसर्गिक अधिकारों के साथ-साथ शासन की योजना का सुचारू रूप से लाभ मिले इस हेतु भी जागरूक होना पडेगा।

2. पृष्ठभूमि -

प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के आर्थिक स्वालम्बन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार तथा परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने हेतु राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 प्रारंभ की गयी है । उक्त योजना सहित महिलाओं के कल्याण हेतु संचालित शासन की समस्त योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और कार्य पर निगरानी रखने हेतु योजना अंतर्गत लाभांवित महिलाओं को सम्मिलित करते हुये 23 से 60 आयु वर्ग की महिलाओं की लाडली बहना सेना गठन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है ।

3. लाड़ली बहना सेना के उददेश्य स्वरूप एवं गठन -

3.1. उद्देश्य -

3.1.1. ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराना जहां वे स्वयं के आस्तित्व व विकास की सोच को सुदृढ़ कर सकें ।

3.1.2. शासन की महिला कल्याण हेतु संचालित समस्त योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन एवं निगरानी ।

3.1.3. महिलायें अपने मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक हों एवं इनका उपयोग करनें में सक्षम हों।

3.1.4. स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, आदि के क्षेत्र में महिलाए बालिकाए अपनी समान पहुंच बना सकें।

3.1.5. महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति समाज की सोच में बदलाव, कुप्रथाओं, लिंग आधारित भेदभावों को समाप्त करना।

3.1.6. महिलाओं के मुद्दों को समाज के समक्ष दृढता से प्रस्तुत करना।

3.1.7. सामाजिक विकास में महिलाओं की भागीदारी को बढावा।

3.2 लाडली बहना सेना का स्वरूप एवं गठन -

3.2.1. ग्राम/वार्ड स्तर पर एक लाडली बहना सेना होगी, जिसमें ग्राम की इच्छुक 23 से 60 आयुवर्ग की महिलाएं सदस्य होगी।

3.2.2. प्रदेश के प्रत्येक ग्राम जिसकी आबादी 1500 से कम है ऐसे प्रत्येक ग्राम में 11 सदस्यीय एवं ऐसे ग्राम जिनकी आबादी 1500 से अधिक है वहॉ पर 21 सदस्यीय लाडली बहना सेना का गठन होगा।

3.2.3. उपरोक्तानुसार गठित लाडली बहना सेना की कुल सदस्य संख्या में कम से कम 50 प्रतिशत सदस्य मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से लाभांवित सदस्य होंगे।

3.2.4. प्रत्येक लाडली बहना सेना में सर्वसम्मति से **'लाडली बहना सेना प्रभारी'** एवं **'लाडली बहना सेना सहप्रभारी'** मनोनित किया जायेगा, जो एक वर्ष तक प्रभारी एवं सहप्रभारी के दायित्वों का निर्वहन करेंगे उसके पश्चात लाडली बहना सेना के ही अन्य सदस्य प्रभारी एवं सहप्रभारी के रूप में मनोनित होंगे। प्रभारी एवं सहप्रभारी में स्वप्रेरणा, स्वविवेक, स्वेच्छा, उत्साह से कार्य करने एवं नेतृत्व का गुण होना चाहिए।

3.2.5. सेक्टर पर्यवेक्षक महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा उस ग्राम की एक सक्रिय आंगनवाडी कार्यकर्ता को लाडली बहना सेना के समन्वयक के रूप में मनोनित किया जायेगा। समन्वयक न केवल प्रभारी एवं सहप्रभारी के मनोनेयन में सहयोग करेगी वरन नियमित रूप से लाडली बहना सेना की बैठक भी आंगनवाडी में करेगी।

3.3. लाड़ली बहना सेना के गठन की प्रक्रिया -

3.3.1. लाड़ली बहना सेना की सदस्यता प्राप्त करने के लिए 23 से 60 आयुवर्ग की महिलाएं आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर अपना नाम पंजीकृत करा सकती है।

3.3.2. आंगनवाडी कार्यकर्ता लाड़ली बहना सेना की सदस्य बनने की इच्छुक महिलाओं को पंजीकृत करेंगी।

3.3.3. आंगनवाडी कार्यकर्ता पंजीकृत महिलाओं की सूची सेक्टर पर्यवेक्षक को उपलब्ध करायेगी।

3.3.4. सेक्टर पर्यवेक्षक सेक्टर अंतर्गत आने वाली समस्त केंद्रों पर गठित लाड़ली बहना सेना की सूची एवं समन्वयक के रूप में सम्बंधित ग्राम की आंगनवाडी कार्यकर्ता का नाम परियोजना अधिकारी को उपलब्ध करायेंगी।

3.3.5. परियोजना अधिकारी प्राप्त सूची अनुसार आंगनवाडी केंद्रवार लाड़ली बहना सेना गठन संबंधी आदेश जारी करेंगे।

3.3.6. लाड़ली बहना सेना के सदस्य लिखित में जानकारी कारण सहित आंगनवाडी कार्यकर्ता को देकर अपनी सदस्यता समाप्त कर सकते हैं। ऐसे किसी भी रिक्त स्थान की पूर्ति लाडली बहना सेना प्रभारी एवं अन्य सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से की जायेगी एवं इसकी सूचना सेक्टर पर्यवेक्षक को दी जायेगी। परियोजना अधिकारी लाडली बहना सेना में किये गये परिवर्तन को अद्यतन करेंगे।

3.4. लाड़ली बहना सेना का संचालन -

3.4.1. माह के द्वितीय सप्ताह में कम से कम एक बार एवं आवश्यकतानुसार बैठकें आयोजित की जावेगी।

3.4.2. बैठक का समय महिलाओं द्वारा अपनी सुविधानुसार तय किया जा सकता है।

3.4.3. बैठक का संचालन 'लाडली बहना सेना प्रभारी' द्वारा किया जायेगा। प्रभारी की अनुपस्थिति में 'लाडली बहना सेना सहप्रभारी' द्वारा बैठक का संचालन किया जायेगा।

3.4.4. बैठक की सूचना सेक्टर पर्यवेक्षक को दी जावेगी।

3.4.5. आयोजित बैठकों में परियोजना अधिकारी, सेक्टर पर्यवेक्षक, ए.एन.एम., समय-समय पर उपस्थित होकर मार्गदर्शन प्रदान करेंगी।

4. लाड़ली बहना सेना के कार्य -

4.1. आदिवासी, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को जागरूक करना ताकि वे स्वयं के विकास के साथ-साथ समाज के विकास की सोच को सुदृढ़ कर सकें।

4.2. महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति समाज की नकारात्मक सोच, कुप्रथाओं, भेदभावों में परिवर्तन लाना।

4.3. शासन की महिला कल्याण हेतु संचालित समस्त योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन एवं निगरानी करना । ग्राम की प्रत्येक पात्र महिला व बालिका को शासन की योजनाओं के लाभ मिल रहे हैं या नहीं इसकी जानकारी रखना।

4.4. महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं एवं बच्चों से संबंधित कार्यो, शासकीय योजनाओं की जानकारी देना।

4.5. महिला व बालिकाओं से संबंधित मुद्दें जैसे बाल विवाह, दहेज-प्रथा, घरेलु हिंसा, लिंग आधारित भेदभाव, आदि पर ग्रामवासियों को जागरूक करना।

4.6. अपने ग्राम की महिलाओं बालिकाओं व बच्चों की स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, स्वच्छता पर चर्चा करना।

4.7. महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा चलाए जाने वाले सभी अभियानों, कार्यक्रमों सम्मेलनों में सहयोग करना ।

4.8. महिलाओं को उनकी क्षमता, योग्यता तथा गांव की बाजार की आवश्यकता के अनुसार छोटे-छोटे लघु उद्योग स्थापित करने प्रोत्साहित करना तथा संबंधित विभाग की जानकारी देना।

4.9. महिलाओं को बैंकिंग प्रणाली से अवगत कराना तथा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में प्राप्त राशि के सदपयोग हेतु चर्चा एवं मार्गदर्शन देना।

4.10. समस्त बालिकाओं के शिक्षण तथा सतत स्कूली शिक्षा को सुनिश्चित करना ।

5. **दायित्व एवं कर्तव्य -**

5.1. राज्य स्तर के दायित्व एवं कर्तव्य - राज्य स्तर से लाड़ली बहना सेना के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किये जाकर लाड़ली बहना सेना के सुचारू क्रियाकलापों की निगरानी की जायेगी साथ ही लाड़ली बहना सेना के द्वारा किये गये प्रयासों एवं सफल नवाचारों का अभिलेखीकरण एवं अन्य जिलों में प्रसारण किया जायेगा ।

5.2. संयुक्त संचालक के दायित्व एवं कर्तव्य- संभाग स्तर पर संयुक्त संचालक के द्वारा संचालनालय महिला एवं बाल विकास के प्राप्त निर्देशों का जिलों के द्वारा पालन किये जाने की निगरानी करना तथा जिलों के नवाचारों का अभिलेखिकरण सुनिश्चित करना।

5.3. जिला कार्यक्रम अधिकारी के दायित्व एवं कर्तव्य- जिला स्तर पर लाडली बहना सेना के कर्तव्यों के आधार पर निर्धारित किए गए कैलेण्डर अनुसार क्रियान्वयन सुनिश्चित करना एवं लाड़ली बहना सेना के कार्यो की निगरानी एवं मूल्यांकन एवं मार्गदर्शन करना।

5.4. परियोजना अधिकारी के दायित्व एवं कर्तव्य - परियोजना स्तर पर प्रत्येक ग्राम में लाडली बहना सेना के पर्यवेक्षक से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर गुणवत्तापूर्वक गठन सुनिश्चित करना और क्षेत्रिय भ्रमण के समय लाड़ली बहना सेना से संपर्क करना व उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करना तथा विभागीय समन्वय सुनिश्चित करना।

5.5. पर्यवेक्षक के दायित्व एवं कर्तव्य –

5.5.1 लाडली बहना सेना का प्रत्येक ग्राम में गठन किया जाना।

5.5.2 लाडली बहना सेना के लिए समन्वयक रूप में कार्य करना।

5.5.3 लाडली बहना सेना की प्रत्येक माह बैठक नियमित रूप से बैठकें सुनिश्चित करना।

5.5.4 शौर्यादल की बैठकों में जाकर मार्गदर्शन प्रदान करना।

5.5.5 लाड़ली बहना सेना में कार्यकारी समिति के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष , सचिव एवं 2 सदस्यों हेतु आंगनवाडी कार्यकर्ता से नामांकन प्राप्त कर, नामांकित किया जाना।

5.5.6 लाड़ली बहना सेना में समन्वयक रूप में कार्य करना।

5.5.7 सेक्टर स्तर पर कार्यशाला सह प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना।

5.5.8 लाडली बहना सेना के द्वारा किये गये प्रायासों/सफलता की कहानियों को संकलित करना।

5.6. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के दायित्व एवं कर्तव्य:-

5.6.1. लाडली बहना सेना हेतु इच्छुक महिलाओं का पंजीयन करना एवं लाडली बहना सेना प्रभारी एवं सहप्रभारी के मनोनयन में सहयोग करना।

5.6.2. लाड़ली बहना सेना की सूची सेक्टर पर्यवेक्षकों को सौपना।

5.6.3. लाड़ली बहना सेना के समन्वयक रूप में कार्य करना।

5.6.4. लाड़ली बहना सेना की बैठक समय-समय पर नियमति रूप से हो सुनिश्चित करना।

5.6.5. लाड़ली बहना सेना को समय-समय पर आवश्यक सहयोग प्रदान करना।

अजय कटेसारिया
उप सचिव
म.प्र. शासन